झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 2610/2020

स्वप्ना देवी, पत्नी धीरेंद्र नाथ महली, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गांव दीवानगंज बुधीह, डाकघर - कुरा, थाना- पिंडजोरा, जिला- बोकारो

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय नेपाल हाउस, डाकघर + थाना - डोरंडा, जिला - रांची।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय नेपाल हाउस, डाकघर + थाना - डोरंडा, जिला - रांची

4. रेंज वन अधिकारी, चास रेंज, बोकारो वन प्रभाग, डाकघर + थाना- चास, जिला बोकारो।

5. उपायुक्त, बोकारो, डाकघर + थाना बोकारो, जिला बोकारो

6. जिला परिवहन अधिकारी, बोकारो, डाकघर +थाना बोकारो, जिला बोकारो

... उत्तरदाताओ

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विशाल कुमार राय,

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता: श्री मनोज कुमार, जीए III

श्री प्रभाष चंद्र सिन्हा, एसी से जीए III

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित के लिए प्रार्थना के साथ दायर की गई है -

(क) प्रतिवादियों को उपयुक्त रिट/रिट (एं)/आदेश/आदेशों /निदेश/निदेशों जारी करने के लिए ताकि वे पंजीकरण संख्या जेएच 09 एस 7241 और ट्रेलर सं जेएच 09 एस 7242 से अधिक ट्रैक्टर छोड़ सकें। प्रभागीय वन अधिकारी, बोकारो द्वारा जब्त कर लिया है लेकिन उपायुक्त ने प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा पारित जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया है और उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर को छोड़ने का आदेश दिया है; और

(ख) वन जब्ती पुनरीक्षण याचिका संख्या 01/2019 की कार्यवाही समाप्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए भी।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर का मालिक है और वन अधिकारियों ने चास संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर कुछ अवैध निर्माण पाया और याचिकाकर्ता से संबंधित ट्रैक्टर और ट्रेलर वहां खड़े पाए गए और उसमें से ईंटें उतारी जा रही थीं। ट्रैक्टर और ट्रेलर को फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, चास ने जब्त कर लिया। प्रभागीय वन अधिकारी ने दिनांक 30.03.2016 के आदेश के तहत उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर को जब्त कर लिया। याचिकाकर्ता ने उपायुक्त, बोकारो के समक्ष जब्ती अपील संख्या 05/2016-17 को प्राथमिकता दी और उपायुक्त, बोकारो ने प्रभागीय वन अधिकारी, बोकारो द्वारा पारित जब्ती आदेश को रद्द कर दिया। उक्त वाहनों का मूल्य 1,75,000/- रुपये किया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर को छोड़ने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी, बोकारो से संपर्क किया, लेकिन प्रभागीय वन अधिकारी, बोकारो ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि प्रतिवादी नंबर 4 ने प्रतिवादी नंबर 3 के समक्ष वन जब्ती संशोधन याचिका संख्या 01/2019 दायर की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब तक ट्रैक्टर और ट्रेलर जारी नहीं किया जाता है, याचिकाकर्ता ट्रैक्टर और ट्रेलर के उत्पादन के लिए बांड निष्पादित करने पर, यदि आवश्यक हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अपराध की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसके कारण जब्ती की गई है, जैसा कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 53 के तहत परिकल्पित है,1957 में, याचिकाकर्ता अत्यधिक पूर्वाग्रही होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं की अनुमति दी जाए।

5. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील- दूसरी ओर राज्य याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और प्रस्तुत करता है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के बिहार संशोधन की धारा 52-सी में परिकल्पना की गई है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 (4) के तहत सूचना प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति की जब्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने के बारे में जिसके कारण संपत्ति की जब्ती का अधिकार क्षेत्र है जो जब्ती की विषय वस्तु है, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और धारा 52, 52-ए और 52-बी में निर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकरण के अलावा) के पास संपत्ति के कब्जे, वितरण, निपटान या वितरण के संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके संबंध में भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्यवाही शुरू की जाती है, 1927. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील- राज्य **एआईआर 2000 एससी 2729** में रिपोर्ट किए गए **कर्नाटक राज्य बनाम के कृष्णन** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करता है और प्रस्तुत करता है कि वन अपराधों के कमीशन के मामले में उदार दृष्टिकोण नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 का उल्लेख करना उचित है जो निम्नानुसार है: -

> ***"53. धारा 52 के अधीन अधिगृहीत संपत्ति को मुक्त करने की शक्ति।*** *-- किसी ऐसे रैंक का वन अधिकारी, जो किसी रेंजर से कम न हो, जिसने या जिसके*

अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन किन्हीं <u>औजारों, नावों, गाड़ियों या पशुओं को जब्त कर लिया है,</u> उसे उसके स्वामी द्वारा निष्पादन पर इस प्रकार जारी की गई संपत्ति के उत्पादन के लिए एक बंधपत्र जारी कर सकेगा, यदि और जब भी आवश्यक हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता हो जिसके कारण जब्ती की गई है।" (महत्त्व सन्निविष्ट)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 *'धारा 52 के तहत जब्त की गई संपत्ति को मुक्त करने की शक्ति'* शीर्षक से शुरू होती है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 के तहत प्रावधान केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के तहत जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने से संबंधित है, न कि कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत।

7. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 और बिहार संशोधन अधिनियम की धारा 52 (1) और (2) निम्नानुसार पढ़ें: -

<u>भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52</u>

52-जब्ती के लिए उत्तरदायी जब्त संपत्ति -*(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वन उत्पाद के संबंध में वन अपराध किया गया है, <u>तो ऐसे उपज, सभी औजारों, नावों, गाड़ियों या मवेशियों के साथ,</u> जो किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किए गए हैं, ऐसे किसी वनोपज के संबंध में किया गया है। (2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदशत करते हुए एक चिन्ह लगाएगा कि उसे इस प्रकार अधिगृहीत कर लिया गया है और यथाशीघ्र, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा जिसकी अधिकारिता उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता है जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है:*

परन्तु कि, जब वनोपज, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया माना जाता है, सरकार की संपत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तो यह पर्याप्त होगा यदि

अधिकारी यथाशीघ्र, अपने अधिकारी वरिष्ठ को परिस्थितियों की रिपोर्ट देता है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

<u>बिहार संशोधन अधिनियम की धारा 52(1) और (2)</u>

राज्य संशोधन- [बिहार]-*बिहार राज्य को लागू होते हुए धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखें, अर्थात् :-*

52. जब्ती के लिए उत्तरदायी संपत्ति के लिए जब्ती और इसकी प्रक्रिया। (1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वनोत्पाद के संबंध में वन अपराध किया गया है, <u>तो ऐसे उपज, सभी औजारों, हथियारों, नावों, वाहनों, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु सहित किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की जा सकती है।</u>

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति को जब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदशत करते हुए एक चिन्ह लगाएगा कि वह इस प्रकार जब्त कर ली गई है और यथाशीघ्र अधिसूचना, (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रभागीय वन अधिकारी के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी के समक्ष अधिगृहीत संपत्ति प्रस्तुत करेगा या जहाँ वह है, थोक या अन्य वास्तविक कठिनाई की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष जब्त की गई संपत्ति को पेश करने के लिए व्यावहारिक नहीं है, या जहां अपराधी के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का इरादा है, ऐसी जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को उस अपराध की कोशिश करने के अधिकार क्षेत्र में है जिसके कारण जब्ती की गई है:

परन्तु जब वनोपज, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया माना जाता है, सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है तो यह पर्याप्त होगा यदि अधिकारी यथाशीघ्र, परिस्थितियों की रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को देता है।

8. पूर्वोक्त प्रावधानों के सादे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52, जैसा कि यह केंद्रीय अधिनियम में मौजूद है; वन अधिकारियों या पुलिस

अधिकारियों को वन संबंधी अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजारों, नावों, गाड़ियों या मवेशियों को जब्त करने का अधिकार देता है, लेकिन भारतीय वन अधिनियम के बिहार संशोधन की धारा 52 वन अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त वाहनों, रस्सियों, जंजीरों या ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त किसी अन्य वस्तु को जब्त करने का अधिकार देती है और रैंक से नीचे के अधिकारी के समक्ष इसे पेश करने का कर्तव्य डालती है (घ) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रभागीय वन अधिकारी के मामले की सूचना मजिस्ट्रेट को देने के लिए और जब ऐसा उत्पादन संभव नहीं होता है। लेकिन केंद्रीय अधिनियम की धारा 53, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के तहत जब्त किए गए केवल उपकरण, नाव, गाड़ियां या मवेशी को छोड़ने की परिकल्पना की गई है, लेकिन इसमें वाहन शामिल नहीं है और इस मामले में जब्त की गई संपत्ति जो ट्रैक्टर और उसका ट्रेलर है जिसे परिवहन विभाग के पंजीकरण प्राधिकरण के साथ मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत किया गया है; जो निर्विवाद रूप से श्रेणी- वाहन के अंतर्गत आता है। इसलिए, इस न्यायालय की राय में "वाहन" भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 द्वारा कवर नहीं किया गया है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि वाहन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 के दायरे में नहीं आता है, इसलिए, वाहन की जब्ती के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 53 के संदर्भ में बांड के निष्पादन पर वाहन की रिहाई के लिए रिट याचिकाकर्ता की पहली प्रार्थना में कोई योग्यता नहीं है।

9. जहां तक रिट याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना यानी प्रतिवादी नंबर 3 को 2019 की वन जब्ती संशोधन याचिका संख्या 01 के निपटान के निर्देश का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब्त किए गए वाहन काफी समय से वन अधिकारियों की हिरासत में हैं और इसका मूल्य कम होने की संभावना है यदि इसे बिना देखभाल और लावारिस छोड़ दिया जाए जैसा कि प्रतीत होता है, इसलिए, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 3 को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वन जब्ती संशोधन याचिका संख्या 01 /2019 की कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करे, अधिमानतः इस निर्णय की प्राप्ति/उत्पादन की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर।

10. तदनुसार, इस रिट याचिका का पूर्वोक्त निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 2 अप्रैल, 2024
ए. एफ. आर / अनिमेष

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।